A27

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : रामचन्द्र खटीक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : वाद 61/2020 (2020/00176)

उनवान

1- सवा उर्फ शिवलाल पिता धन्ना जी ओड निवासी कालीखेडा तहसील चित्तौडगढ

—वादी

बनाम

सरकार जरिए तहसीलदार चित्तौडगढ

—प्रतिवादी

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 88, 89 RTA
उपस्थिति : 1- श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता वादी
2- पेशकार सरकार

निर्णय दिनांक 15/02/2023

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी ने विरूद्ध प्रतिवादी वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी का मौजा सुरजपोल पटवार हल्का ऐराल तहसील चित्तौडगढ की बिलानाम सावक आराजी नम्बर 503/370 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर सम्वत् 2010 से निरन्तर कब्जा व नियमित रूप से काश्त करते रहने से पटवारी हल्का ऐराल के वर्ष 1970 मे अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय मे प्रस्तुत की

.....लगातार

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ

Scanned with AnyScanner

जिस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने अतिक्रमण की मिसल संख्या 157/1970 कायम कर वादी के विरुद्ध दिनांक 22.5.1970 को बेदखल किये जाने का निर्णय पारित किया। प्रतिवादी के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध वादी ने अतिरिक्त जिलाधीश चित्तौड़गढ़ के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की। अपील 143/1970 दायर की जाकर दिनांक 06.12.1971 को निर्णय पारित कर प्रतिवादी के आदेश दिनांक 22.5.1970 को निरस्त कर उक्त भूमि वादी के पक्ष मे नियमन करते हुए वादी के खातेदारी मे दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया। जिसकी पालना मे नामान्तरकरण संख्या 364 दिनांक 31.1.71 स्वीकृत किया जाकर साबिक आराजी नम्बर 403/370 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वादी के नाम दर्ज की गई, परन्तु वर्ष 1982-83 मे मौजा पुरजापोल का भू प्रबन्ध किया गया व भू प्रबन्ध के दौरान वर्ष 2041 से 2044 मे नवीन आराजी नम्बर 1222 रकबा 0.79 हे. के नाम दर्ज की परन्तु उक्त रकबा वादी के गैर खातेदारी मे दर्ज कर दिया, जबकि भूप्रबन्ध से पूर्व उक्त आराजी वादी के नियमन होकर खातेदारी मे दर्ज थी। अतः पुनः नये भूप्रबन्ध के दरम्यान भी खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था, फिर भी भू प्रबन्ध अधिकारियों ने गलती से गैर खातेदारी दर्ज कर दिया जो लिपिकीय त्रुटि रही है, जिससे वादी राजस्व रेकार्ड मे दुरुस्ती करवा कर उक्त आराजी खातेदारी मे दर्ज करवाया जाने का अधिकारी होने से वाद पत्र खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

.....लगातार

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

पेश हैं। वाद कारण दिनांक 13/3/2015 को प्रतिवादी द्वारा वादी के खातेदारी में दर्ज किया जाने से इनकार करने से पैदा होकर निरन्तर जारी होना बताते हुए अन्त में वाद पत्र स्वीकार कर ग्राम सुरजपोल तहसील चित्तौड़गढ़ की नवीन आराजी संख्या 1222 रकबा 0.79 हे. भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज किए जाने की डिक्री प्रदान करने बाबत् निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्व लोक अदालत केम्प कोटे ऐराल में दिनांक 18/5/2016 को वादी का वाद पत्र खारीज कर दिया जाने से वादी द्वारा मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां निर्णय 18/5/2016 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी की अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय 18/5/2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को नियमानुसार आदेश के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाने से प्रकरण पुनः दर्ज किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। वादी ने वाद पत्र के कथन की ताईद में दस्तावेजी सबूत के रूप में नकल जमाबन्दी मौजा सुरजपोल खाता संख्या 395 प्रदर्श-1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श-2, निर्णय न्यायालय अति. जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ दिनांक 6.2.71 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051-2054 प्रदर्श-4, नामान्तरकरण संख्या 364 निर्णय 31.1.79 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श-5, वादी द्वारा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4.12.78 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श-6 एवं नकल मिलान खसरा प्रदर्श-7

...... लगातार

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

प्रस्तुत की। वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर प्रकरण में दिनांक 09/3/2022 को 1 वाद बिन्दु कायम किया गया। वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में अपना स्वयं का शपथ पत्र PW1 प्रस्तुत कर बयान कराये। प्रतिवादी की ओर कोई शहादत प्रस्तुत नहीं हुई।

हमने वाद पत्र पर वादी के विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी। हमने पत्रावली का अवलोकन। अध्ययन कर उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। प्रकरण में कायम वाद बिन्दु प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर निम्न प्रकार से निर्णित किया जाता है।

तनकी नम्बर 1. आया वादी जरिये इन्द्राज दुरुस्ती मौजा सुरजपोल तहसील चित्तौड़गढ़ की नवीन आराजी नम्बर 1222 रकबा 0.71 हे. को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था वादी ने विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड के रूप में ग्राम सुरजपोल की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 खाता संख्या 395, नक्शा ट्रेस अति. जिलाधीश न्यायालय चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 06/2/2071 की प्रति, नामान्तरकरण 364 दिनांक 31.1.1979 मौजा सुरजपोल की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2051-2054 दिनांक 5.12.78 को तहसीलदार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति तथा नकल मिलान शेजरा की प्रति प्रस्तुत किए। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि

......लगातार

कार्यालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner

1831

न्यायालय अति. जिलाधीश चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 06/2/71 से मौजा सुरजपोल की साबिक आराजी नम्बर 403/370 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वादी के नाम पर अंकित किए जाने के आदेश होने से नामान्तरकरण संख्या 364 दिनांक 31.1.79 से उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी से दर्ज की गई। मिलान क्षेत्रफल अनुसार मौजा सुरजपोल की उक्त साबिक आराजी नम्बर के नवीन आराजी नम्बर 1222 रकबा 0.79 हे. कायम हुए। उक्त नवीन आराजी नम्बर को वादी के नाम पर जमाबन्दी सम्वत 2051-2055 में गैर खातेदारी से दर्ज कर दी गई। प्रतिवादी ने भी अपने जवाब में उक्त तथ्य अंकित किए हैं कि ना. सं. 364 अनुसार खातेदारी दर्ज होना एवं पुन: नवीन बन्दोबस्त में गै. खा. दर्ज होना स्वीकार है। वादी ने घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती की दाद चाही है जो उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबुत से साबित होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी उक्त तनकी दस्तावेजी सबुत के आधार पर साबित कराने में सफल रहा है जिससे पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

वादी अपने जिम्मे की तनकी साबित कराने में सफल रहा है। अत: वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर मौजा सुरजपोल प.ह. ऐराल तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी संख्या 1222 रकबा 0.79 हे. भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी में वादी को गैर खातेदार के बजाय खातेदार अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner